उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्याः 10 /2023/313/80-1-2023-80-1099/18/2023
लखनऊ; दिनांक 16 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रतिबंध यह है कि गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होगी।

नियम 67 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 67 में-

(क) उप-नियम (1) की सारणी में, क्रम संख्या 6 की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) थोक व्यापारी एवं आढ़तिया या थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में मण्डी समिति में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस	(4) थोक व्यापारी सह आढ़तिया अथवा थोक व्यापारी या आढ़तिया के रूप में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के

जारी करने के या लाइसेंस के नवीकरण के प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ मण्डी समिति के पक्ष में सम्यक् रूप से बन्धक कराकर, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत के रूप में 1,000 रूपये और एकीकृत लाइसेंस के मामले में 1,00,000 (एक लाख रूपये) प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।	नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ मण्डी समिति के पास सम्यक् रूप से गिरवी रखकर मण्डी समिति के खाते में, बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत पत्र या डिजिटल भुगतान के रूप में 1,000 रूपये प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा।

नियम 139, 140 और 141 का बढ़ाया जाना

3. उक्त नियमावली में, नियम-138 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:-

"खाद्य प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से लाए गए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर से छूट [धारा 17-क(1)(ग)]

139. राज्य के बाहर से, खाद्य प्रसंस्करण के लिए लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर की छूट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी-

(एक) राज्य के बाहर से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन को लाने से पहले, प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के बाहर भुगतान किये गये शुल्क (यदि कोई हो) के विवरण सहित ई-मण्डी पोर्टल पर यथा उपलब्ध प्रारूप में प्रि-अराइवल स्लिप ऑनलाइन जारी करेगा।

(दो) सुसंगत दस्तावेज अर्थात् कृषि उत्पादन के क्रय का बिल, बिल्टी और उस राज्य में लागू मण्डी शुल्क तथा अधिभार के भुगतान की रसीद (यदि कोई हो) उस वाहन पर रखी जायगी जिसके द्वारा उत्पादन का परिवहन किया जा रहा हो।

(तीन) प्रसंस्करण इकाई में ऐसे कृषि उत्पादन के पहुँचने पर, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा इसे "प्रसंस्करण के लिए स्टॉक" में ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा।

(चार) जब कभी मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित हो, प्रसंस्करणकर्ता; उप खण्ड (दो) में यथा वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण

140- खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के लिए

हेतु राज्य के कृषक-उत्पादक से सीधे क्रय किये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट [धारा 17-क(1)(घ)]

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(एक) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक उत्पादक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन का क्रय, प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, मण्डी उप स्थल, निजी मण्डी स्थल, सीधे विपणन लाइसेंस में उल्लिखित क्रय-स्थल या धारा-7 में यथावर्णित मण्डी क्षेत्र में किसी अन्य स्थान से करेगा।

(दो) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करते हुए प्रपत्र सं०-6 जारी करेगा:-

(क) कृषक-उत्पादक का नाम
(ख) पिता का नाम
(ग) ग्राम, तहसील
(घ) जिला
(ड.) खसरा संख्या व क्षेत्रफल
(च) कृषक-उत्पादक का मोबाइल संख्या

(तीन) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक को निदेशक द्वारा यथा विहित भुगतान रसीद जारी करेगा तथा ई-मण्डी पोर्टल पर रसीद की विवरणियों को भरेगा। प्रसंस्करणकर्ता, रसीद की प्रति मण्डी समिति को जब कभी अपेक्षित हो प्रस्तुत करेगा।

(चार) प्रत्यक्ष विपणन के स्थान से क्रय करने के मामले में प्रसंस्करणकर्ता सम्बंधित मण्डी समिति को क्रय से पूर्व निदेशक द्वारा विहित और ई-मण्डी पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में ऑनलाइन सूचित करेगा।

(पाँच) किसी विशिष्ट कृषि वर्ष में, नियम 139 और नियम 140 के अधीन किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये मण्डी शुल्क व विकास उपकर से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन की कुल मात्रा, उस वर्ष के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाई की क्षमता से अधिक नही होगी।

(छः) प्रसंस्करणकर्ता, कृषक-उत्पादक के खाता में धनराशि का भुगतान करेगा तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रपत्र-6 के माध्यम से रखेगा।

(सात) भुगतान का ब्यौरा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(आठ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा कृषक-उत्पादक को 10 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान करनां होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर

की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

(नौ) प्रसंस्करणकर्ता द्वारा 15 दिनों के भीतर मण्डी पोर्टल पर भुगतान का पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। यदि प्रसंस्करणकर्ता पूर्व उल्लिखित कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो मण्डी शुल्क और विकास उपकर की छूट अविधिमान्य हो जाएगी।

मण्डी समितियों की आय में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति [धारा 17-क(1)(ड.)]

141 (1) वित्तीय वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2022-23 के लिये (वर्ष 2020-21 और 2021-22; जब कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन तथा सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2020) प्रवृत्त था अथवा कोविड महामारी फैली हुई थी, को अपवर्जित करके) राज्य के समस्त ए.पी.एम.सी. के लिए प्रपत्र 6 के अनुसार व्यापार पर देय जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर को जोड़कर पृथकत: गणना की जायेगी। अधिनियम के उपबंधों के अधीन दी गयी जिन्सवार, मण्डी शुल्क और विकास उपकर से छूट के कारण प्रतिपूर्ति या अधित्यजित धनराशि, यदि कोई हो, को भी उस वित्तीय वर्ष के लिए संगणित की जायेगी और प्रपत्र-6 के आधार पर गणित धनराशि से इसको घटा दिया जायेगा। इस प्रकार संगणित धनराशि राज्य की समस्त ए.पी.एम.सी. की उस वित्तीय वर्ष की जिन्सवार वार्षिक आय होगी।

(2) सभी ए.पी.एम.सी. की आय में, जिन्सवार, वार्षिक वृद्धि की औसत दर की गणना, पिछले पाँच वर्षों की उपर्युक्त रीति से संगणित आय के आधार पर की जायेगी।

वार्षिक वृद्धि की इस गणना के लिए, जिस दर पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया है, उसे ध्यान में रखा जाएगा और गणना इस प्रकार की जाएगी मानो कि मण्डी शुल्क ऐसी अवधि के लिए 1 प्रतिशत हो, जब व्यापार पर 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हो।

(3) किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए समस्त ए.पी.एम.सी. की कुल आय, जिन्सवार कुल आय की वार्षिक वृद्धि की औसत दर के साथ अनुमानित की जायेगी। एक वर्ष में प्राप्त जिन्सवार मण्डी शुल्क और विकास उपकर की संसूचना प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में खाद्य

प्रसंस्करण विभाग को दी जायेगी। उपर्युक्त रीति से गणना की गई अनुमानित आय और उस वित्तीय वर्ष में ए.पी.एम.सी. द्वारा प्राप्त वास्तविक आय में अन्तर की प्रतिपूर्ति उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम से की जायेगी।"

आज्ञा से,

डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 10 /2023/313(1)/80-1-2023-80-1099/18/2023

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

3- अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ।

5- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति दिनांक 16 अगस्त, 2023, इस आशय से प्रेषित कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'क' में प्रकाशित कराकर अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
16/08/2023
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।